निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1940 (श0)
(सं0 पटना 902) पटना, वृहस्पतिवार, 4 अक्तूबर 2018

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
1 अक्तूबर 2018

एस0 ओ0 257, दिनांक 4 अक्तूबर 2018—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा–22(एच) सह पठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निबंधित निर्माण कामगारों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ नई योजना **''वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना''** को प्रारम्भ करने का निम्नरूपेण प्रावधान करती है :–

1. प्रत्येक निर्माण श्रमिक, जो बोर्ड के सदस्य हैं, इस योजना के पात्र होंगे।
2. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक योग्य निर्माण श्रमिक द्वारा वर्ष में एकबार सहायता प्राप्त किया जा सकता है।
3. प्रत्येक योग्य निर्माण श्रमिक के परिवार को इकाई मानकर प्रत्येक वर्ष एकमुश्त धनराशि ₹3000/– (रूपये तीन हजार) उनके बैंक खाते में अन्तरित किया जाएगा।
4. यदि पति पत्नी दोनों निबंधित निर्माण श्रमिक हैं तो एकमुश्त ₹3,000/–(रूपये तीन हजार) धनराशि केवल पत्नी के बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी।
5. इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य निर्माण श्रमिक द्वारा श्रम संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक कागजात के साथ आवेदन दिया जा सकता है।

(सं० बी0सी0डब्लू0सी0–18/2016–902/श्र0सं0)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश कुमार शाही,
सरकार के अवर सचिव।

1 अक्तूबर 2018

एस0ओ0 257 दिनांक 4 अक्तूबर 2018 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(सं० बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016-902/श्र0सं0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश कुमार शाही,
सरकार के अवर सचिव।

The 1st October 2018

S.O. 257, Dated 4th October 2018— In exercise of the power conferred by section 22(h) of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), and Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2016, the Government of Bihar makes following provisions to initiate new scheme – **"Annual Medical Assistance Scheme"** for the welfare of registered Construction Workers and their dependents:-

1. Every construction worker, who is a member of the Board, will be eligible for this scheme.
2. In this scheme, every eligible construction worker can get the benefit once in the year.
3. Considering the family of every eligible worker as a unit, an amount of Rs. 3,000/- (Three thousand) in toto will be transferred in the account of every eligible construction workers.
4. The amount of Rs. 3,000/-(Three thousand) in toto will be transferred in the bank account of only female construction workers, if both wife and husband are registered construction workers.
5. For assistance of this scheme, the eligible construction worker may apply in prescribed process along with essential documents in the regional offices of Labour Resources Department.

(No. BCWC-18/2016-902 /LR)
By order of the Governor of Bihar,
SATISH KUMAR SHAHI,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 902-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in